न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 76/2012

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट्स

झणकारी पुत्री बेगमा सांसी निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट्स

1कमली पुत्री मंछाराम 2कालूराम पुत्र मंछाराम 3गुड्डी पुत्री मंछाराम 4चेलाराम पुत्र मंछाराम 5केसर पुत्री मंछाराम 6राजू पुत्र मंछाराम 7जन्तुडी पत्नि तोलाराम 8बिरजुडी पुत्री तोलाराम पोत्री मंछाराम 9राकेश पुत्र तोलाराम पोत्र मंछाराम 10गीता पुत्री मुन्नी दोहिती झुमरराम 11पप्पूराम पुत्र मुन्नी दोहिता झूमरराम 12सुशीला पुत्री मुन्नी दोहिती झुमरराम 13प्रेम पुत्र मुन्नी दोहिता झूमरराम 14अशोक पुत्र रामा पोत्र झूमरराम 15तुलछादेवी पुत्री मुन्नी पोत्री झूमरराम 16नरेश पुत्र रामा पोत्र झूमरराम 17 सुरजा पत्नि रामा 18फर्मा पुत्री गंगा दोहिती झूमरराम 19संगीता पुत्री रिंपीया दोहिती झूमरराम 20कोका पुत्री झूमरराम 21जालम पुत्र झूमरराम 22कालूराम 23जयराम 24धन्नाराम 25ढगलाराम पुत्रान पसमडी 26रामेश्वरी पुत्री मिश्रीलाल जातियान सांसी निवासीगण नागौर तहसील व जिला नागौर।
27श्रीमती सीतादेवी पत्नि हुक्माराम जाति खाटी निवासी खटीको का मोहल्ला नागौर।
28हडमानराम पुत्र पूनाराम जाति मेघवाल निवासी बलाया
29तेजाराम पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी सिणोद तहसील व जिला नागौर।
30जगदीश पुत्र रामदेव जाति नायक निवासी खरनाल।
31जीताराम पुत्र रामसुख जाति मेघवाल निवासी भाकरोद।
32ओमाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल निवासी कुचेरा।
33तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति –
1श्री भागीरथ चौधरी, वकील अपीलांट की ओर से।
2श्री प्रेमसुख काला, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 11 व 13 से 26 की ओर से।
3श्री मुकेश रामावत, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 12 की ओर से।
4श्री शिवचंद पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 27 की ओर से।
5श्री रामकिशोर मुण्डेल, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 28 से 32 की ओर से।
6श्री कुन्दन सिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 33 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 14.12.17

(1)–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम मानासर के नामान्तरकरण सं. 172 दिनांक 18.11.99 से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.08.12 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 23.08.12 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 से 11 व 13 से 26 की ओर श्री प्रेमसुख काला अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 12 की ओर से मुकेश रामावत अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 27 की ओर से शिवचन्द पारीक अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 28 से 32 की ओर से श्री रामकिशोर मुण्डेल अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 33 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

(2)–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि –

(2)(I)–स्व. बेगमा पत्नी चन्द्राराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान में पटवारी हल्का मानासर को अपीलांट व स्व. पसमडी व स्व. मिश्रीलाल को मंछीया व झूमर के साथ–साथ बतौर सहखातेदार उत्तराधिकारी कॉलम सं. 9 नामान्तरकरण में नाम दर्ज करना चाहिये था। जो दर्ज नही किया। इसलिये नामान्तरकरण जैर अपील खारिज योग्य है।

(2)(II)–नामान्तरकरण सं. 172 की पुस्त पर स्व. बेगमा के उत्तराधिकारी केवल दो पुत्रों को ही बताया है व गलती से अपीलांट व स्व. पसमडी व मिश्रीलाल का नाम दर्ज नही करने से म्यूटेशन हाजा निरस्तनीय है व अपील बहक अपीलांट विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 22 से 26 के स्वीकार करने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

(2)(III)–म्यूटेशन की कार्यवाही करते समय पटवारी हल्का अथवा आरआई हल्का अथवा तहसीलदार नागौर ने मृतका बेगमा के समस्त उत्तराधिकारियों के बारे में जांच नही की न ही सार्वजनिक नोटिस इस्तिहार छपवाया न ही उजरदारी प्राप्त की और बाला बाला में ही पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना ही बाला बाला पोशिदा तौर पर म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत करने में भारी भूल की है।

(2)(IV)– नामान्तरकरण सं. 172 खोलते समय एवं स्वीकृत करते समय अपीलांट को कोई जानकारी नही दी गयी न ही उसके पश्चात अपीलांट को खेत पर अपीलांट का कब्जा होने से कोई जानकारी हुई, सर्वप्रथम दिनांक 25.7.12 को जब अपीलांट अपने ससुराल से वापस पीहर मानासर आई व फसल बोने की तैयार हेतु खेतो में सूड इत्यादि करने के लिये गई तब अपीलांट के खेत में अवैध निर्माण कार्य दीवार निकालने से हुई। तब अपीलांट ने उसी दिन दिनांक 25.7.12 को तमाम राजस्व रेकर्ड की नकले मांगी जो नकले दिनांक 30.7.12 को मिली। तब अपीलांट को उक्त म्यूटेशन की जानकारी हुई। तब अपीलांट ने नजरी नक्शे व चालू खतौनी हेतु पटवारी हल्का मानासर से सम्पर्क किया। जो नकले दिनांक 8.8.12 को मिली एवं चालू खतौनी की नकले दिनांक 8.8.12 को प्राप्त हुई और यह भी जानकारी हुई कि दोनो खसरान को मंछीया व झूमर ने आगे रेस्पोडेन्ट सं. 23 व 28 को बेचान कर दिया व रेस्पोडेन्ट सं. 28 ने 5 बिस्वा भूमि का बेचान बाला बाला ही रेस्पोडेन्ट सं. 29 से 32 के हक में कर दिया जो बेचान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 22 से 26 के हक अधिकार तक शून्य, बेअसर, निष्प्रभावी व वोइड है। न तो स्व. मंछीया व झूमर को उक्त दोनो खेताय बेचान करने का अधिकार था न ही बेवाननामा को पंजीयन करवाने का अधिकार था। उपरोक्त तथ्यों की रूह से खरीददारों द्वारा किसी प्रकार का कब्जा अपीलांट व स्व. मिश्रीलाल व पसमडी की भूमि पर प्राप्त नही होने से खरीददारान को कोई हक या अधिकार प्राप्त नही हुए। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट के अंतिम निर्णय के पूर्व उत्तरोतर बेचान या निर्माण की कार्यवाही रोकी जाना भी न्यायोचित होने से अपील पेश की गई है। इस प्रकार आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। जहां गैर कानूनी शून्य आदेश हो, वहां पर मियाद के बिन्दु के बिना ही गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये तथा अपने कथन के समर्थन में RRD 1986 पेज 7 से 9 तथा RRD 1998 पेज 319 से 324 नजीरे पेश की है।

(3) वकील रेस्पोडेन्ट सं. 28 से 32 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि अपीलांट ने ग्राम मानासर के म्यूटेशन सं. 172 खसरा नं. 43, 140/49 के खातेदार बेगमा पत्नी चन्द्रा की मृत्यु होने पर फौतगी का म्यूटेशन दिनांक 8.11.99 को होने पर स्वीकृत किया, जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत की। इस प्रकार अपीलांट ने अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की है। स्व. बेगमा पत्नी चन्द्रा की मृत्यु किस वर्ष व किस माह में हुआ, कोई उल्लेख प्रार्थी ने नही किया। बेगमा की पुत्री झणकारी शादी सुदा अपने ससुराल में होने से तत्समय विवादित खेताय पर कब्जा काश्त नही रहा। नामान्तकरण सं. 172 में बेगमा के दो पुत्र मंछीया एवं झूमर का कब्जा काश्त होने से विधि अनुसार पटवारी हल्का मानासर ने सही दर्ज किया, जिसकी जानकारी भी अपीलांट/प्रार्थी झणकारी एवं पसमडी तथा रामेश्वरी शुरू से रही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह भी गलत दर्ज किया कि अपीलांट को दिनांक 25.7.12 को रेकर्ड शाखा से नकल मांगने एवं दिनांक 30.7.12 को नकले प्राप्त होने से जानकारी हुई हो। म्यूटेशन सं. 172 सही स्वीकृत होने से अपील ही मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(4) वकील रेस्पोडेन्ट सं. 27 सीता देवी द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी का यह कथन असत्य है कि उसे अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी नही हो। यह भी असत्य है कि उसको अपीलाधीन आदेश की जानकारी हाल ही में जब वह ससुराल पाली से पीहर मानासर अपने घर आई तब अपीलार्थी पुश्तेनी भूमि पर किये जा रहे निर्माणों को देखने पर दिनांक 25.7.12 को रेकर्ड शाखा से तमाम राजस्व रेकर्ड व नामान्तरकरणों की नकले मिली जो उसे 30.7.12 को प्राप्त हुई तब हुई हो। यह भी असत्य है कि उक्त नकले देखने से पता चला हो कि अपीलांट की माता स्व. बेगमा के फौतगी नामान्तरकरण से सिर्फ उनके दो पुत्र मंछीया व झूमर के नाम ही नामान्तरकरण भर दिया गया हो। यह भी सही है कि उक्त दोनो खेताय को रेस्पोडेन्ट सं. 27 व 28 को बेचान कर दिया। रेस्पो. सं. 27 को उक्त मंछीया व झूमरिया ने दिनांक 26.11.93 को विक्रय पत्र निष्पादित कर विक्रय कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 30.11.93 को पंजीबद्व हुआ। 1996 में रेस्पो. सं. 27 द्वारा भूमि को आबादी में संपरिवर्तन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विधि अनुसार सपंरिवर्तन करवा लिया एवं सन 1997 में प्रत्यर्थी सं. 27 द्वारा उक्त भूमि पर चारदीवारी का निर्माण

अपर कलक्टर, नागौर

करवा लिया। अपीलार्थी सन 1997 में भी जब चारदीवारी का निर्माण करवाया जा रहा था। तब नागौर आयी थी तथा उसने मौके पर निर्माण होते देखा और देखकर के अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कही भी किसी जगह आपत्ति नही की। इसलिये उसका यह कथन कि 25.7.12 को व उसके आस पास जब वह नागौर आई तब उसने निर्माण कार्य करते देखा, जबकि मौके पर निर्माण कार्य 1997 में ही हो गया था, इसलिये उसने मौके पर निर्माण कार्य देखा हो, यह कथन पूर्ण रूप से झूठा है। प्रत्यर्थी सं. 27 द्वारा पूर्ण धनराशि का भुगतान करके तथा राजस्व अभिलेखों में मंछीया व झूमर के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर खातेदार देखकर तथा मौके पर उनका कब्जा देखकर व समझकर पूर्ण प्रतिफल की धनराशि का भुगतान कर प्रत्यर्थी सं. 27 ने भूमि को क्रय किया था एवं विधि अनुसार पंजीयन करवाया था। जो पंजीयन आज भी पूर्ण रूप से वैध है एवं किसी भी न्यायालय में उनको चुनौती नही दी गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 27 उक्त भूमि का सद्भाविक पूर्ण धनराशि का भुगतान करके भूमि क्रय करने के कारण सधन क्रेता है तथा तब से लगातार आज तक कब्जा रेस्पो. सं. 27 का रहा एवं रेस्पो. सं. 27 ने भूमि का आबादी में सपंरिवर्तन करवाने के पश्चात श्रीमती रीटा जैन पुत्री सनतकुमार जैन, श्रीमती संतोष काबरा पत्नी चतुर्भुज काबरा, श्रीमती संतोष धर्मपत्नी ओमप्रकाश माहेश्वरी बाहेती, श्रीमती फरजाना धर्मपत्नी शाकिर हुसैन लौहार, श्री सनतकुमार पुत्र सोहनसिंह कानूगो के नाम से भूखण्ड बनाकर विक्रय कर दिये जिनके विक्रय पत्र क्रमशः दिनांक 11.2.99, 13.6.07, 13.6.07, 13.6.07, 14.3.12 को निष्पादित कर पंजीयन करवा दिये एवं सभी को अलग अलग कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिन सभी का आज मौके पर अलग अलग कब्जा है। जिस तथ्य की जानकारी अपीलार्थी को प्रारंभ से ही है क्योकि वह समय समय पर अपने पीहर नागौर आती जाती रहती है। उसका यह कथन भी असत्य है कि उपरोक्त प्रकार से उसे जानकारी होने के तत्पश्चात दिनांक 8.8.12 को नकले प्राप्त करने, 9.8.12 को कानूनी जानकारी करने व अपील की सलाह मिलने पर अपील तैयार करवाने से दिनांक 10.8.12 से 12.8.12 तक राजकीय अवकाश होने से दिनांक 13.8.12 को अपील पेश की हो अंदर मियाद हो बल्कि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर उक्त अपील परिसीमा के बाहर है। उपरोक्त प्रकार से अपीलार्थी को जब विक्रय पत्र प्रत्यर्थी सं. 27 के हक में निष्पादित हुआ तब से उस समय मौके पर कब्जा करने व उसके बाद 1997 में अपीलार्थी की उपस्थिति में प्रत्यर्थी सं. 27 द्वारा दीवार बनाने से एवं उक्त दीवार के निर्माण से संतुष्ट होने एवं तत्काल अपील नही करने से अब यह अपील मियाद बाहर है एवं अब इस स्टेज पर अपील करने का अर्थ यही है कि वर्तमान में कुछ वर्षो से भूमि की कीमतों में बहुत ज्यादा बढोतरी हुई है। इसलिये प्रत्यर्थी सं. 27 को परेशान करने के मात्र उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की है जो स्पष्ट रूप से परिसीमा के बाहर है तथा अपने कथन के समर्थन मे RRD 14.11.12 पेज 742 से 743 तथा RRD 14.08.09 पेज 465 से 469 नजीरे पेश की है।

{5}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम मानासर के खसरा नं. 43 रकबा 3.07 बीघा व खसरा नं. 140/49 रकबा 4.18 बीघा के खातेदार बेगमा फौत होने पर नामान्तरकरण सं. 172 जो कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 8.11.93 को स्वीकार किया गया है, से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 13.8.12 को प्रस्तुत की गई है। अपील करीब 19 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रतिदिन का कारण बताना होता है। जबकि प्रस्तुत मामले में अत्यधिक विलंब के लिये कोई पर्याप्त कारण भी नही है। अपीलांट 19 वर्ष तक आदेश जैर अपील से अनभिज्ञ रही हो, ऐसा कोई ठोस आधार मियाद प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेजी आधार पर साबित नही है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलांट की अपील चलने योग्य नही है।

{6}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{7}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर